# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/2019/दावा

1. रामेश्वरलाल पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

---प्रार्थी

ब नाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमि धारक तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

---अप्रार्थी

**दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट**

**उपस्थिति–**

1. श्री मूलचंद धायल वकील प्रार्थी की ओर से।

**निर्णय** दिनांक – 29.07.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में कृषि खाता संख्या 201 भूमि खसरा नम्बर 819/1087 रकबा 2.27 हैक्टर, खाता संख्या 200 भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 2.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.74 हैक्टर, किता 7 कुल रकबा 8.93 हैक्टर अवस्थित है जो पैतृक भूमियां है। जिनमें प्रार्थी का जन्म का घर का नाम रामलाल विरासत में दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का स्कूली रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज राशनकार्ड, वोटरकार्ड, आधार कार्ड, में रामेश्वरलाल नाम दर्ज है, इस कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमियों में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए दोनों नामों से अलग अलग पत्रावलियां जमा करवाई थी। जिनको विशेष श्रेणी में कनेक्शन हेतु परेशानी आने पर श्रीमान के यहा से शपथ पत्र विद्युत विभाग के कहने पर तस्दीक करवा कर दिया गया था जिसमें प्रार्थी विद्युत विभाग में वर्तमान में उपभोक्ता अर्थात उक्त आवेदन में वर्णित संपदा में रामलाल की जगह रामेश्वरलाल दर्ज करवाया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी द्वारा क्रय संपदा में वर्तमान में रामेश्वर पुत्र भींवाराम दर्ज है। जिसके खाता संख्या 210

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 363 रकबा 2.02 हैक्टर है, जो अन्य दस्तावेज के आधार पर सही दर्ज हुआ है अर्थात् प्रार्थीना पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित संपदा का प्रार्थी ही स्वामी है, दोनों नाम प्रार्थी के ही है, प्रार्थी के अलावा अन्य का नंहीं है और प्रार्थी अपने पिता का अकेला संतान है। ऑनलाईन प्रकिया के कारण राजस्व रिकॉर्ड व आधार कार्ड आपस में मिलान नहीं होने के कारण परेशानी आ रही है प्रार्थी अपनी जमीन अपने पुत्रों के नाम करवाकर छोटे खाते करवाना चाहता है जिसके लिए तहसीलदार ने आधार कार्ड के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रामलाल की जगह रामेश्वरलाल दर्ज करवाने का कहने पर उक्त संशोधन हेतु आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थी की खातेदारी भूमियां जो खाता सं0 200 व 201 में दर्ज है, उसमें रामलाल की जगह रामेश्वरलाल खाता संख्या 210 के अनुसार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे जिससें प्रार्थी की परेशानी का निदान हो सके।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार की ओर सें तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमियां शुरू से ही रामलाल पुत्र भींवाराम के नाम सें दर्ज है लेकिन रिपोर्ट पटवारी, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि सभी दस्तावेजों में रामेश्वरलाल पुत्र भींवा के नाम दर्ज होने के कारण ग्राम बनाथला के खसरा नम्बर 819/1087 तथा 437, 449 ता 454 रामलाल पुत्र भींवाराम के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र भीवाराम करने की अभिशंषा की गई। राजस्व रिकॉर्ड के अलावा अन्य सभी उक्त वर्णित दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामेश्वर लाल है। उक्त सभी तथ्यों सें साबित होता है कि रामलाल व रामेश्वर लाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है। साथ ही प्रार्थी द्वारा कय की गई भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 2.02 हैक्टर में रामेश्वर पुत्र भींवाराम दर्ज है जो दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः उक्त वर्णित तथ्यो सें स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामलाल के स्थान पर रामेश्वर लाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बनाथला के खाता संख्या 201 भूमि खसरा नम्बर 819/1087 रकबा 2.27 हैक्टर, खाता संख्या 200 भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 2.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.74 हैक्टर, किता 7 कुल रकबा 8.93 हैक्टर में रामलाल के स्थान पर रामेश्वर लाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीरं जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner